

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 49/2017 एफ एस एस एक्ट

- सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

- श्री कौशल किशोर पुत्र श्री रामावतार गोयल
एफबीओ मैसर्स:- गणेश मिष्ठान भण्डार, मेन मार्केट, मेहन्दीपुर बालाजी, जिला दौसा ।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित ।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित ।

—: आदेश :—

दिनांक:- 15.11.2017



संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 11.3.2017 को दोपहर 01:15 बजे मैसर्स गणेश मिष्ठान भण्डार, बालाजी मन्दिर के सामने, मेहन्दीपुर बालाजी, तहसील सिकराय, जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री कौशल किशोर पुत्र श्री रामावतार गोयल उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स न होना जाहिर किया। प्रति संलग्न है।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान के काउण्टर पर चार स्टील की ट्रे में करीबन 20 किग्रा बेसन के लड्डू (रि० सोयाबीन तेल से बने) आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे, में मिलावट का शक होने पर इनमें से एक स्टील की ट्रे जिसमें करीबन 5 किग्रा लड्डू थे में से नमूने की जांच हेतु 2 किग्रा बेसन के लड्डू (रि० सोयाबीन तेल से बने) खरीदे। जिसे विक्रेता ने एक साफ सूखे खाली कागज के डिब्बे में तोलकर दिये। जिनकी कीमत 160 रुपये नकद देकर बिल प्राप्त किया जो संलग्न है।

यह है कि खरीदशुदा बेसन के लड्डू (रि० सोयाबीन तेल से बने) को चार साफ सूखे एवं खाली कांच की बोतलों में बराबर-बराबर डालकर एयरटाइट ढक्कन से बन्द किया व लेबल

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्र० सं० : 49/2017 एफ एस एस एक्ट

तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर किनारों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर बोतलो पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.-1608 उपर से नीचे पूरे राउण्ड में गोंद से चिपकाकर बोतलो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलो को चार-चार जगह से उपर नीचे दोनो साइडों में चपडी से सील मोहर कर बोतलो पर एफबीओ (विक्रेता) श्री कौशल किशोर के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये व गवाहान व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील्ड बन्द बोतलो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं० 6 की एक प्रति व नमूने का एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं० 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद बोतल व फार्म नं० 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च०श्र०क० मुख्यालय द्वारा दिनांक 14.3.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज० जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न परिवाद है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं० 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 14.3.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं० 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 15.3.2017 को डी.ओ व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू (रि० सोयाबीन तेल से बने) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं० एल.एस./567/एक्ट/2017/634 दिनांक 12.4.2017 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू (रि० सोयाबीन तेल से बने) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा स्वयं बहस की गई। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ लड्डू (रि० सोयाबीन तेल से बने) के नमूने में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गयी है, लड्डुओं को रंगीन बनाने के लिये रंग का उपयोग किया गया है, जो खाने योग्य है। हानिकारक नहीं है। कृपया प्रकरण को निरस्त फरमावें।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्र० सं० : 49/2017 एफ एस एस एक्ट

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./567/एक्ट/2017/634 दिनांक 12.4.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू (रि० सोयाबीन तेल से बने) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी (अभियुक्त) श्री कौशल किशोर पुत्र श्री रामावतार गोयल एफबीओ मैसर्स:- गणेश मिष्ठान भण्डार, मेन मार्केट, मेहन्दीपुर बालाजी, जिला दौसा द्वारा खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू (रि० सोयाबीन तेल से बने) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी (अभियुक्त) श्री कौशल किशोर पुत्र श्री रामावतार गोयल एफबीओ मैसर्स:- गणेश मिष्ठान भण्डार, मेन मार्केट, मेहन्दीपुर बालाजी, जिला दौसा पर 5100/- (अक्षरे पांच हजार एक सौ) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 15.11.2017 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।



निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया

क्रमांक/7059-61

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज० जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री कौशल किशोर पुत्र श्री रामावतार गोयल
एफबीओ मैसर्स:- गणेश मिष्ठान भण्डार, मेन मार्केट, मेहन्दीपुर बालाजी, जिला दौसा।

(राजवीर सिंह चौधरी)
राज्य निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
दिनांक:- 15.11.2017

(राजवीर सिंह चौधरी)
राज्य निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा